



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 11 राँची, बुधवार

8 चैत्र, 1945 (श०)

29 मार्च, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 118-123 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 मार्च, 2023

संख्या-1/विविध-809/2019 का०- 1503--श्री आदित्य कुमार आनन्द, भा.प्र.से. (झा:2013), निदेशक, नगरीय प्रशासन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 29.06.2022 से 13.07.2022 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

9 मार्च, 2023

संख्या-1/विविध-823/2013 का०- 1418--श्री छवि रंजन, भा.प्र.से. (झा:2011), निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18(B) के तहत दिनांक-17.04.2023 से 28.04.2023 तक कुल 12 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 29.04.2023 से 01.05.2023 तक सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 मार्च, 2023

संख्या-1/विविध-811/2022 कां-1461--विभागीय अधिसूचना संख्या 843 दिनांक- 14.02.2023 के द्वारा श्री प्रशांत कुमार, भा.प्र.से. (झा:2004), सचिव जल संसाधन विभाग को दिनांक-30.01.2023 से 10.02.2023 तक कुल 12 दिनों के लिए स्वीकृत उपार्जित अवकाश को अखिल भारतीय सेवाएं (छट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत विस्तारित करते हुए दिनांक 11.02.2023 से 13.02.2023 तक कुल तीन दिनों का अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

2 मार्च, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-10/2015 कां- 1315--श्री उदय कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 274/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चितरपुर, रामगढ़ को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-551/वि. दिनांक 01.03.2007 के आलोक में दिनांक 09.09.2022 से 23.09.2022 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PUJA KUMARI अन्य नाम REKHA KUMARI पति RAM PRASAD LOHRA, शपथ पत्र सं० 24, दिनांक 21 फरवरी, 2023 के अनुसार PUJA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।
PUJA KUMARI एवं REKHA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - WARD NO.- 06,
VILL.- RAMPUR, SIBNA TOLI,
P.O. - RAMPUR,
P.S.& DIST.- LOHARDAGA,
PIN - 835302
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAMESH GOPE, RENUKA KUMARI (अन्य नाम BABY ONE OF MONICA DEVI) का पिता, शपथ पत्र सं० 1701, दिनांक 24 फरवरी, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री RENUKA KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

RENUKA KUMARI एवं BABY ONE OF MONICA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- BANAI BARTOLI,
P.O. - BANAI,
P.S.- BASIA,
DIST.- GUMLA,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MUKESH KUMAR अन्य नाम SANJAY KUMAR पिता DHANANJAY SINGH, शपथ पत्र सं० 74, दिनांक 10 फरवरी, 2023 के अनुसार MUKESH KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

MUKESH KUMAR एवं SANJAY KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- CHUNGLO,
P.O.- GADI SRIRAMPUR,
P.S.- GIRIDIH,
DIST.- GIRIDIH,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DIPAK KUMAR, RITVIK KUMAR (अन्य नाम ROHIT KUMAR) का पिता, शपथ पत्र सं० 217, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RITVIK KUMAR (जन्म तिथि 22 अप्रैल, 2016) के नाम से जाना जायेगा।

RITVIK KUMAR एवं ROHIT KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - CHANDIL CHAUKA,
DIST.- SERAIKELA - KHARSAWAN,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAJESHWARI KALYANI अन्य नाम RAJESHWARI पिता JUSTICE SANJAY PRASAD, शपथ पत्र सं० 1450, दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार RAJESHWARI KALYANI के नाम से जानी जाऊँगी।

RAJESHWARI KALYANI एवं RAJESHWARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - JUDGE'S BUNGALOW NO.- 12,
NEAR CENTRAL SCHOOL LANE,
NEAR A.G. MORE, DORANDA,
JHARKHAND.
